

महामहिम राज्यपाल
सरदार श्री हुकम सिंह का अभिभाषण
21 मार्च, 1972

द्वितीय सदस्यमण,

1. पाँचवें आम चुनाव के बाद नई विधान सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आप सबकी विजय के लिए मैं बधाई देता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पाँचवें विधान सभा के आम चुनावों का शान्तिपूर्ण एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाना राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इन चुनावों से पूर्व मतदाताओं की परिपक्वता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं जनतंत्र में सुदृढ़ विश्वास और अधिक स्पष्ट हो गई है। वास्तव में भारतीय मतदाताओं ने विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र के अग होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है जो एक गौरव की बात है।

2. राज्य में पाँचवें आम चुनाव सद्भावना एवं सुचारु रूप से सम्पन्न हुए। इस बार विधान सभा की 184 सीटों में से एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो जाने के बाद 183 सीटों के लिए चुनाव हुआ और इन सीटों के लिए चुनाव मैदान में 874 उम्मीदवार थे। 18 हजार 618 मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया जो कुल मतदाताओं की संख्या का 58.27 प्रतिशत रहा। इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करने के लिए मतदान केन्द्रों पर विभिन्न स्तरों के 35 हजार राज्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। इतने व्यापक कार्य को इस तरह शान्ति, शीघ्रता एवं सफलता से सम्पन्न करने के लिए चुनाव-कार्य में नियोजित सभी राज्य कर्मचारीगण प्रशंसा के पात्र हैं।

3. चुनाव के सन्दर्भ में सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। गरीबी हटाने और समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये और अधिक व्यापक कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार तैयार है। भारतीय संविधान में 26वें संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। देश में इसका सबसे अधिक एवं अनुकूल प्रभाव राजस्थान में पड़ा है। यह सम्मानता पर आधारित समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को जमीन आवंटित करने का कार्यक्रम और तेजी से लागू करने का दायित्व सरकार पर है। साथ ही कृषि-भूमि पर सीलिंग कानून को भी कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कृत-संकल्प है। ग्रामीण जनता को आवास हेतु जमीन देने का कार्यक्रम भी और तेजी से लागू किया जा रहा है। उत्पादन-कार्यों के लिए अधिक एवं सुविधापूर्वक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की

जा रही है जिसमें पैदावार भी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार की सुविधाये हों। पंचायतों के चुनाव लम्बे असें से रूके पड़े हैं इनको सरकार शीघ्र करवाने की व्यत्न रही है। सरकार का निश्चय है कि ग्रामीण संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने एक विधेयक इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तुत किया जावे। कच्ची इस्तियों में रहने वाली लिए पानी, बिजली व मदकों की व्यवस्था करने के लिए पूर्व में दिये गये आश्वासनों हद तक पूरे करने का प्रयास किया गया है और शेष रहे कार्यों को भी शीघ्र पूरा किया है। विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं उनके प्रसारण में विद्यार्थियों प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से भी एक विधेयक राज्य सरकार इसी वर्ष इस सदन में प्रस्तुत तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी समस्या के निवारण हेतु सरकार और अधिक प्रयत्न राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं से विशेष योजनाओं पर अधिक सहायता प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है जिसमें के विकास की गन्तार अधिक तेज हो।

४. हाल ही में हुए ऐतिहासिक भारत-पाक संघर्ष का भी मैं विशेष रूप से उल्लेख चाहूंगा। देश पर थोपे गये इस युद्ध से हमें केवल सैनिक मफज्जता ही नहीं भिली है बल्कि श्रिय एवं मौलिक सिद्धान्तों जैसे धर्मनिरपेक्षता एवं जनतंत्र की महान विजय हुई है। ३ डिसेम्बर १९७१ को पाकिस्तान द्वारा अचानक हमले में राजस्थान के कुछ शहरों पर भी दमबाही हमारी सेना एवं सीमा सुरक्षा दल ने स्थिति का सिम्भत व बहादुरी से मुकाबला किया अधिकतमतः युद्ध को पाकिस्तान के क्षेत्र में सीमित रखा। लोहेवाला की तरफ पाकिस्तान आक्रामक कार्यवाही की उसमें उभरे भागी नुकसान उठाना पड़ा और उरो पीछे हटना पड़ा। इस में और विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों की जनता का मनोबल सहायनीय रहा। राज्य सरकार युद्ध के दौरान सेना की पानी, खातायात, संचार, चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की सब सुविधाये तथा सम्बन्ध सम्य पर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं रखी और युद्ध के समाप्ति और राज्य सरकार के बीच ताल-मेल सहायनीय रहा। इस युद्ध में वीरगति पा गोजाओ एवं नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ तथा युद्ध में प्रायत्न हुए गोजाओ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना हूँ। वीरगति प्राप्त योद्धाओं के आश्रितों एवं अन्य हुए योद्धाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रकार की सहायता दी जा रही है, जैसे नकद पुरस्कार, भूमि-आवंटन आदि। भारत सरकार सम्मानित अन्य योद्धाओं को भी राज्य सरकार नकद अनुदान, भूमि-आवंटन आदि सम्मानित कर रही है।

५. भूमिहीनों का भूमि का आवंटन, कारखानों तथा ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं उनके जीवन-स्तर को उन्नत उठाने की ओर सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। भूमि-हीनों के साथ-साथ ऐसे भूमिहीनों, जिनको राजकीय भूमि पर नैसर्गिक कब्जा कर रखा

समाप्ति में ही महानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1971 तक जिन जमीनों पर सरकारी कृषि-भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर कायम की है उनके कब्जों को भी विनियमित कर दिया जावे। इसके साथ-साथ अधिक-से-अधिक भूमिहीनों को निर्धारित सीमा में भूमि प्राप्त कराने हेतु भूमि आवंटन नियमों में भी ढील बर्ती जाकर ये सीमाएँ कम कर दी गई हैं।

6. अनुपूर्व नरेशों की भूमि अन्वाम करने हेतु बनाये गये अधिनियम को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अधिनियम के कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप नरेशों की भूमि अन्वामि सम्बन्धी कार्य में अड़चन पैदा हुई। कृषि भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है, और अब तक 57 हजार 964 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है जिसमें से 8 हजार 546 एकड़ भूमि भूमिहीन कृषकों को वितरित की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने की दृष्टि से खातेदारी भूमि का अन्वाम में एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क परिवर्तित कराने हेतु नियम जारी किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिंचाय चक्र भूमि या गोचर भूमि पर अथवा गैर मुमकिन या वन-भूमि पर मकान के मकान तथा बाड़े बना लिये हैं ऐसे व्यक्तियों को भी राहत देने की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में आड़कर 500 वर्ग गज तक भूमि में 31 दिसम्बर, 1970 के पूर्व निर्मित ऐसे मकान तथा बाड़े को भी नियमन करने का प्रावधान किया गया है।

7. स्थानिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के प्रथम चरण में लिफ्ट क्षेत्र के सुभागा, बीकानेर, लूणकरणसर के गाँवों में लगभग 99 हजार बीघा जमीन का सर्वेक्षण किया गया है। सुभागा द्वारा 5 हजार 632 बीघा भूमि का एकीकरण भी किया गया है। वर्ष 1971-72 में शिष्ट श्रेणी के लगभग 45 व्यक्तियों को 1 हजार 73 एकड़ भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया तथा चालू वर्ष में 11 कृषि-स्नातकों को 275 बीघा क्षेत्र का आवंटन हो चुका है। पीपल में से आये विस्थापितों के करीब 257 परिवारों को एक हजार 400 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में गैर-देखिलकारों को कृषि-भूमि का आवंटन किया गया है और करीब ऐसे 793 परिवारों को लगभग 17 हजार बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। उपलब्ध सिंचाई-क्षमता का पूर्ण सदुपयोग करने हेतु वर्ष 1971-72 में 14 हजार भूमिहीन परिवारों को कृषि-भूमि का अस्थायी आवंटन किया गया जिनमें 10 हजार सर्वर्ण और 4 हजार अनुसूचित जाति के परिवार हैं। कुल 4 लाख 2 हजार बीघा भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई तथा 9 हजार परिवारों को 1 लाख 55 हजार बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया।

8. राजस्थान में वनों का विकास-कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में चारगाहा-सुभागा, परिष्ठापित (डिप्रेडिड) वनों का पुनर्वास, आर्थिक वृक्षारोपण, राजस्थान नहर परियोजना में वन-विकास, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण, वन सीमांकन तथा बन्दोबस्त के पुराने कार्यों की परियोजना का पुनर्निर्माण, वनों की सुरक्षा और पहाड़ी कन्दरा तथा रेतीले क्षेत्रों में भू-संरक्षण

के कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही कार्य 1972-73 में चलेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाएँ भी चल रही हैं। बाड़मेर जिले में मरुस्थल विकास योजना के अन्तर्गत चारागाह-सुधार कार्य, परिष्कारित बनों के पुनर्वास, ऊसर भूमि-सुधार कार्य, सड़कों के विस्तार वृक्षांशण व पौध-शालाओं के निर्माण-कार्य लेने व पूर्व में लिये गये कार्यों को पूर्ण करने की योजना है जिसके लिए लगभग 3.5 लाख रुपये की राशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी। वन संसाधन सर्वेक्षण की केन्द्रीय योजना भी चल रही है। लकड़ी, कोयला तथा वट्टियों के लिए ढोकेदारी प्रथा 1968 में समाप्त की गई तब से विभागीय प्रणाली चालू है जिससे आय व वन-श्रमिकों को रोजगार देने में लगातार वृद्धि हो रही है। लकड़ी व कोयले की कीमतों में वृद्धि लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 14 विक्रय-केन्द्र भी स्थापित किये हैं।

9. बहुउद्देशीय, मध्यम एवं लघु-सिंचाई योजनाओं का कृषि के क्षेत्र में काफी महत्व है। वर्ष 1971-72 में सिंचाई योजनाओं के लिए 21.95 करोड़ रुपये का प्रावधान था जो पिछले वर्ष से 70 प्रतिशत अधिक था। भाखरा नहर का निर्माण-कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और इससे 2 लाख 28 हजार हेक्टर क्षेत्र में, व्यापक रूप से सिंचाई की जा रही है। इस नहर से 2 लाख 28 हजार हेक्टर क्षेत्र में वर्ष सिंचाई होने का प्रावधान था किन्तु अब इस नहर से 2 लाख 48 हजार हेक्टर क्षेत्र में वर्ष सिंचाई की जा रही है। इसी प्रकार चम्बल घाटी योजना के अन्तर्गत कोटा बैराज तथा व दाई नहरों का निर्माण-कार्य भी पूरा किया जा चुका है किन्तु बाद में सीपेज की समस्याओं के कारण नाला बनाने, नहरों को पक्का बनाने आदि के कार्य अभी पूरे किये जा रहे हैं। इस वर्ष से चालू वर्ष में 1.51 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त गुजरात नहर परियोजना एवं माही योजना का कार्य चल रहा है। राज्य में लघु-सिंचाई योजनाओं में इस वर्ष 200 लाख रुपये का प्रावधान था जिसके अनुसार कार्य प्रगति पर है। मध्यम सिंचाई योजनाओं में बट्गांव, औराई, खारी फीडर, मेई जखम, मेजा फीडर तथा जैतपुरा आदि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। कुछ बाधों को जो सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, ऊखा नहर का कार्य भी किया जा रहा है।

10. राजस्थान नहर राज्य के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर जिलों में लगभग 31.24 लाख एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई की जा सकेगी। सूद की गतिविधियों के कारण इस कार्य में कुछ रुकावटें आईं किन्तु मुख्य नहर के प्रथम चरण में 88 मील का कार्य पूर्ण हो चुका है और 88 से 124 मील का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष जनवरी तक 3.35 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो चुकी है और आशा है कि वर्ष के अन्त तक दोनों फसलों में लगभग 4.40 लाख एकड़ भूमि सिंचाई हो सकेगी। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस नहर के निर्माण-कार्य पर कुल 72.36 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

11. इसी प्रकार व्यास परियोजना है जिसमें व्यास नदी के जल का सिंचाई व वि

समाप्त हो जाएगा किया जायेगा। यह योजना दो यूनिटों में विभाजित है। पहली यूनिट व्यास जिले के दूसरी पंच पर व्यास बांध का निर्माण। पहली यूनिट से मुख्यतया बिजली का उत्पादन होगा। दूसरी से राजस्थान को सिंचाई व बिजली-उत्पादन के लिए बारह मासी पानी का उत्पादन दोनों यूनिटों के पूरा होने पर राजस्थान को अपने हिस्से में करीब 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। दोनों यूनिटों का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और सम्भवतः सन् 1974-75 पूर्ण हो जायेगा। राजस्थान नहर सहित सभी सिंचाई योजनाओं से राज्य में कुल 1,00,000 हेक्टायर भूमि में सिंचाई होगी।

राजस्थान क्षेत्र में ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के विस्तार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न विद्युत योजनाओं से बिजली के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कुल रूप से बिजली (फर्म पावर) वर्ष 1970-71 में 248 मेगावाट से बढ़कर सन् 1971-72 में 300 मेगावाट हो गई है। वर्ष 1971-72 में करीब 13 हजार कुओं को बिजली पहुँचाई जाने का प्रमाण है तथा 1 हजार नई बस्तियों का विद्युतीकरण भी हो जायेगा। उद्योगों को भी सीमित बिजली उपलब्ध होगी। हाल ही में विद्युत मण्डल ने अजमेर की गैर सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी की मिलकियत को भी खरीद लिया है और अब वहाँ बिजली का वितरण मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

1971-72 बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं में महावृत्ता प्राप्त करने के लिए विशेष योजना का एक प्रकार मितम्बर, 1970 में स्थापित किया गया है। इस प्रकल्प द्वारा राजस्थान नहर के कमान्ड क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई, जो नहर बैंक के विधायक है। पशुधन के विकास क्षेत्र में भी 120 करोड़ रुपये की दो योजनाएँ तैयार की गई हैं जिनकी भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा जाँच की जा रही है। दुग्ध विकास के लिए भी "ऑपरेशन-फ्लड" नामक 4 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है जिससे राजस्थान के क्षेत्रों को लाभ होगा। एपीकल्चरल रिफाइनन्स कारपोरेशन सीक्यूरिटी फंड फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा इस प्रकल्प से बनाई गई 7 लाख सिंचाई योजनाएँ इसी वर्ष स्वीकार की गई हैं व अन्य 12 योजनाओं के स्वीकृत होने की आशा है। इसी प्रकार की योजनाओं का विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।

राजस्थान क्षेत्र में खाद्य-उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जहाँ वर्ष 1970-71 में 76 लाख टन फसलों का उत्पादन होने का अनुमान था वहाँ वास्तविक उत्पादन 88.12 लाख टन हुआ। वर्ष 1971-72 में राज्य के कुछ जिलों में प्रतिकूल मौसम व कुछ फसलों में बीमारियों के कारण या बाढ़ाचक्रों का उत्पादन सामान्य ही रहने की आशा है। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है कि राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषि की आधुनिक विधियों को जोषण-स-अधिक अपनाया जा रहा है। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का कार्यक्रम प्रति हो जाता जा रहा है। जहाँ वर्ष 1970-71 में 7 लाख हेक्टायर भूमि में इन फसलों का

उत्पादन किया गया था वहाँ इस वर्ष 8 लाख हैक्टर क्षेत्र में उत्पादन किया गया है। वर्ष 1973 में यही कार्यक्रम लगभग 12 लाख हैक्टर भूमि में लेने की योजना है।

15. उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उर्वरक का प्रयोग प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में 2 लाख 81 हजार टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण किया गया था व 1971-72 में 3 लाख 53 हजार टन का वितरण हो जाने का अनुमान है। यह वृद्धि 32 प्रतिशत है। वर्ष 1972-73 में लगभग 4 लाख 50 हजार टन उर्वरकों की खपत और 25 से 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती जायेगी। राज्य में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने का एक नई कार्यक्रम अपनाया गया है जिसमें "फोलियर अप्लिकेशन" कहते हैं और जिसमें पत्तियों द्वारा सज्जन होते हैं। वर्ष 1971-72 में यह कार्यक्रम गहूँ की फसल पर लगभग 1 लाख 75 हैक्टर भूमि में लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम अन्य फसलों पर लेना क्यास पर बहुत ही सतोषजनक रहे हैं। चामराज में क्यास के ऊपर इस परदति द्वारा उर्वरक के ठीक का कार्य भारत वर्ष में सबसे पहले राजस्थान में प्रारम्भ किया गया।

16. पौधा-संरक्षण कार्यों को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। मरसों में चेपा को के लिए अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में 24 हजार 400 हैक्टर भूमि में पौधा-संरक्षण कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त फसलों की रक्षाने हेतु अलवर जिले में 2 हजार 556 हैक्टर भूमि में तथा श्रीगंगानगर जिले में 11 हजार 200 हैक्टर क्यास में हवाई जहाज द्वारा दवा का छिड़काव किया गया। वर्ष 1972-73 में करीब 40 हजार हैक्टर क्यास पर हवाई जहाज द्वारा दवाओं का छिड़काव कर पौधा-संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है और कुल पौधा-संरक्षण-कार्य का लक्ष्य 42 लाख हैक्टर का है। देश में क्यास व तिलहन की फसलों में आग निर्भरता लाने के लिए कई बड़े कार्यक्रम राज्य में भी प्रारम्भ किये गये हैं। वर्ष 1971-72 श्रीगंगानगर क्षेत्र में लक्ष्मी गेशशर्मा क्यास की सफल कृषि-योजना 40 हजार हैक्टर भूमि केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1972-73 में इस कार्यक्रम को 60 हजार हैक्टर भूमि में लागू करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐली टी प्रियम की क्यास की सफल कृषि लगभग 20 से 30 हजार हैक्टर भूमि में करने की एक नई केन्द्रीय योजना तैयार की गई है। वर्ष 1971-72 में श्रीगंगानगर जिले में क्यास की विक्री में कुछ जायते आई हैं। एक तो उत्पादन अधिक होने व दूसरे राष्ट्रीय सरकार के आ जाने के कारण मण्डियों में खरीदने में हानि से मुक्त प्रकल्प पौधा वर्ष, परन्तु राज्य ही राज्य सरकार के प्रयासों से भारतीय क्यास निगम की ओर से सरोवर का काम शुरू कर दिया गया जिससे कृषकों को काफी सहाय मिली। ऐसी सरोवर की आवश्यकता आगल वर्ष भी होगी।

17. तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता से मुक्तली का सफल कृषि-कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 1971-72 में यह योजना चित्तौड़गढ़ व राजस्थान नहर क्षेत्र में लागू की गई है। वर्ष 1972-73 में इन क्षेत्रों के अतिरिक्त इसे अजमेर क्षेत्र में लागू

दिया जायेगा। रासों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में सघन कृषि-उत्पादन शुरू करने की योजना है इसके अतिरिक्त एक नई फसल 'सूर्यमुखी' जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, के प्रदर्शन 1971-72 में लगाये गये थे, उसके परिणाम आशाजनक प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम को वर्ष 1972-73 में और भी बढ़ावा दिया जायेगा।

18. चीनी के उत्पादन की दृष्टि से यह वर्ष देश के लिए अनुकूल नहीं रहा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1971 में चीनी पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाने से यहां भी उचित मूल्य की दुकानों में चीनी का वितरण समाप्त कर दिया गया था किन्तु कुछ ही माह बाद स्थिति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप राज्य में पुनः चीनी का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाने की व्यवस्था की गई।

19. 1970-71 में कृषि ऋण-दात्री सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को 16.33 करोड़ रुपये के अल्प व मध्यमकालीन ऋण वितरित किये गये। 1971-72 में इससे अधिक ऋण-वितरण की आशा है। वर्ष 1972-73 में 23 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी वितरित किये गये। 1971-72 में ये ऋण लगभग 2.50 करोड़ रुपये के होंगे तथा वर्ष 1972-73 में 9.50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य है। कटाई मिल, गुलाबपुरा संभवतया अप्रैल, 1972 में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करेगी। क्रय-विक्रय संघ द्वारा 6 चावल मिलें स्थापित की जा रही हैं जिनमें से 4 मिलों में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा नागौर में 24 लाख रुपये का खार से गोंद प्रसारे का संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

20. वर्ष 1971-72 में जांधपुर में दुग्ध-वितरण योजना की क्रियान्विति चालू रही जो कि आगामी वर्ष में पूर्ण होगी। शुरू में 1 हजार लीटर दूध रोजाना वितरण करने की पायलेट योजना प्रारम्भ की जायेगी व बाद में पूर्ण योजना, जिसमें 20 हजार लीटर दूध वितरण करने की क्षमता हो, चालू की जायेगी। भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए विदेशों से अच्छी किस्म की भेड़े मंगवाई जा रही हैं। गोरख जिले के फतेहपुर में एक वृहत स्तर पर भारत सरकार की सहायता से भेड़-प्रजनन केंद्र की योजना सिद्धान्ततः स्वीकार हो चुकी है।

21. औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सहायताओं से समाप्त होने का प्रभव पड़ा है। सन् 1970 तक की कुल पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ, जो कि 7 हजार 863 थीं, वर्ष 1971 तक बढ़कर 8 हजार 970 हो गईं। 1970 व 1971 में क्रमशः 16 व 51 लैटर आफ इन्स्टेंट अथवा सीओबी लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स राज्य सरकार की विधिकरण पर बड़े उद्योगों को मिले। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इन उद्योगों को लगवाने के निश्चित प्रयास जारी हैं। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी, 1972 तक 205 संस्थानों को 244.75 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है और वर्ष के अन्त तक लगभग 280 लाख रुपये के ऋण वितरण का संभावना है जब कि गत वर्ष इस निगम के माध्यम से 182 संस्थानों को 247.14

लाख रुपये का ऋण दिया गया था। ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों में लघु-उद्योग का बहुल्य है। सरकार एवं औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से निगम द्वारा राज्य के 16 सिद्धे जिलों में शर्तों पर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देने की योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। से अलवर व जोधपुर जिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान विभिन्न नवीन उद्योगों को सरकार द्वारा केंद्र से प्राप्त धनराशि के आधार पर दिया जायेगा। वित्त निगम द्वारा सुगम योजना भी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत एक संस्थान को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण प्रतिशत व्याज की दर पर उपलब्ध हो सकता है। प्रशिक्षित इन्जीनियरों के लिए और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अप्रैल, 1970 से फरवरी, 1972 के अंत तक निगम 53 इन्जीनियरों को उद्योग स्थापित करने के लिए 62.40 लाख रुपये दिये गये हैं। अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी इकाइयों को स्थापित करने के लिए ऋण दिया गया है।

22. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा अलवर में स्फूटर कारखाना लगाया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 24 हजार स्फूटर प्रति वर्ष होगी। अतिरिक्त सोडा एश, कैल्शियम कार्बाइड, प्लास बोटल्स एवं कन्टेनर्स व सिन्थेटिक क्रायोला तथा फ्लोराइट व धो-ब्लिंक्स उद्योग जिनके लिए निगम को भारत सरकार द्वारा लैटर और इन्स्टेंट मिल चुके हैं, को लगाने पर भी निगम विचार कर रहा है। निगम द्वारा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, चिडवावा, पाली इत्यादि में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है एवं किया जा रहा है। निगम ने लॉन्ग एण्ड शॉर्ट इण्डस्ट्रीज स्कीम के अन्तर्गत 4 उद्योग इन्जीनियरों के साथ सहयोग कर, लगाये हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम ने भी अपनी प्रगति का क्रम चालू रखा है। निगम द्वारा मर्शानरी के लिए तार-पार्वेज स्कीम हाल में लागू की गई है। निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भी भाग लिया। यह उल्लेखनीय है कि वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम एवं लघु उद्योग निगम ये तीनों सरकारी निगम लगातार मुनरफे में चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण कार्य विभिन्न संस्थानों के द्वारा करवाया जा रहा है जो सम्भवतः दो वर्ष में पूरा हो जायेगा। राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण हेतु भारत सरकार से सम्पादित सम्बंधित कर्ज-प्राप्त की भी क्रियान्वित विभिन्न नियमों द्वारा करवाई जा रही है। भारत सरकार से इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 37 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। अगले वर्ष इस योजना पर और अधिक कार्य होने की संभावना है।

23. भारत सरकार द्वारा पारमेश औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत टोंक व चूमवाडा जिलों में भी प्राथमिक कार्य शुरू किया जा चुका है। सूती कपड़े की एडवर्ड मिल स्थापना का निश्चय भी राज्य सरकार के मूजान पर प्रयास सरकार ने राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम से किया है व इस मिल एवं महालक्ष्मी मिल, बदायूं के पुनर्निर्माण का व्यापक कार्य राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम व राज्य सरकार के मिश्रित प्राधनों से शुरू किया गया है।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इस वर्ष एक केन्द्रीय रोजगार योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा के लिए मिलेगा। एक जिले में इस योजना के अन्तर्गत 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है। यह योजना 1972-73 में भी लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत कृषि में सिंचाई, भू-संरक्षण, सड़क-निर्माण, वन व छोटे विकास आदि के कार्यों को प्राथमिकता दी जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 998 निर्माण-कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्ष 1971-72 में केयर-फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत 128 पंचायत समितियों के 3 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का लक्ष्य था। वर्ष 1972-73 में इसको बढ़ाकर प्रति दिन 5 लाख बच्चों को भोजन देने की योजना है।

25. राज्य में पंचायतों के स्वरूप व सीमाओं आदि के सुधार व पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

26. वर्ष 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम जिसका अब नया नाम 'अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम' है, के अन्तर्गत राज्य के 10 सशक्त अभावग्रस्त जिलों को चुना गया जिनके नाम हैं - जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, पुरू, जोधपुर, नागौर, पाली, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए नवम्बर-पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दो करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान भारत सरकार ने रखा है। इसके अन्तर्गत इस प्रकार के उत्पादक कार्य किये जाने हैं जिनसे भविष्य में अभाव स्थिति की सम्भ्रिता इन जिलों में कम होगी। वर्ष 1970-71 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई, वन एवं सड़कों के कार्य भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये, लेकिन यह स्वीकृति 25 से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1970-71 में कार्यों के क्रियान्वयन में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। इन स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 1971-72 में सन्तोषपूर्वक चल रहा है। इसके साथ ही सिंचाई, सड़क, वन, भू-संरक्षण एवं पेयजल की क्षेत्रीय योजनाओं के नये कार्य वर्ष 1971-72 में भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये। इस प्रकार अब तक 16 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। शेष प्रावधान के अन्तर्गत नये कार्य जैसे सामूहिक नल-कूप योजना आदि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कराने के प्रयास जारी हैं।

27. राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 20 तथा अन्य स्थानों में 10 प्राथमिक पाठशालाएँ इस वर्ष खोली गईं। इसके अतिरिक्त राज्य में 400 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमागत किया गया। 90 पाठशालाएँ जो पंचायत समितियों द्वारा और 52 पाठशालाएँ जो तालुका स्तरों द्वारा चलाई जाती थीं को राज्याधीन लिया गया। 203 माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमागत किया गया। भरतपुर व भीलवाड़ा में छात्राओं हेतु और सवाई

माधोपुर में छात्रों हेतु महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये। इस वर्ष राज्य में शिक्षकों में बेरोजगारी कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार के योगदान से 2,630 अध्यापकों को रोजगार देने हेतु सृजित किये गये हैं। छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति विद्यार्थियों की शिक्षा संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास करने सम्बन्धी योजनाएँ जैसे निःशुल्क पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इस खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसान साक्षरता योजना व शिक्षा क्षेत्र की प्रगति हेतु प्रोजेक्ट्स केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहायता से चालू किये गये। आयु वर्ग 6-11-14 एवं 14-17 में स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 58.8, 27.4 तथा 12.4 होना का अनुमान है। शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये आगामी वर्ष में विशेष प्रयत्न किये जायेंगे।

28. इस वर्ष 13 जिला-स्तरीय अस्पतालों का उच्चीकरण किया गया तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 25 नई डिस्पेन्सरीज खोली गई जिनमें से 24 सुदूर ग्रामीण-क्षेत्रों में हैं। 9 मातृ एवं शिशु कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन योजना अन्तर्गत 2 नई क्लिनिकस की स्थापना जालोर और नागौर में भी कर दी गई है। परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1972 तक 2 लाख 25 हजार व्यक्तियों के नसबन्दी एवं 1 लाख 26 हजार लूप-प्रविष्टि की जा चुकी है। चेचक-उन्मूलन योजना के अन्तर्गत लगभग 28 लाख व्यक्तियों के टीके लगाये गये हैं। राज्य में रोहे-नियंत्रण एवं कुछ रोग निवारण की योजना प्रगति पर है।

29. नगरीय क्षेत्र की पेय-जल समस्याओं के निवारणार्थ चालू वर्ष में 336 लाख रुपये की 19 नई योजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है तथा इस वर्ष में लगभग 11 नई नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के कार्य सम्पूर्ण होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने का पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार सजग रही है। वर्ष 1971-72 में 75 एवं 1972-73 में 90 और ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के सम्पूर्ण होने की संभावना है। राज्य के मरुस्थलीय पश्चिमी भाग में पीने के पानी की समस्या अधिक जटिल है। राज्य सरकार इसके प्रति पूर्ण जागरूक है व अपने सीमित साधनों में भी अधिकतम प्रयत्न करती रही है। राजस्थान नहर क्षेत्र में उपयुक्त पीने का पानी सूलभ करने के उद्देश्य से ड्रिगियों का भी निर्माण किया गया है।

30. राजस्थान के तीन प्रमुख नगरों - जयपुर, अजमेर एवं कोटा के लिए मास्टर-प्लान के प्रारूप तैयार कर लिए गये हैं। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर आदि नगरों के मास्टर-प्लान तैयार किये जा रहे हैं। राजस्थान नहर की क्षेत्रीय योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। हनुमानगढ़ मंडी तथा इस क्षेत्र की अन्य अनेक आद्यादियों की योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड के गठन के बाद वर्ष 1971-72 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,

कोल और अजमेर में 1 हजार 183 आवास-गृहों का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 1972-73 में 2 हजार 868 गृहों की योजना है। बोर्ड द्वारा अपंग, पुरस्कृत वीर सिपाहियों तथा मृत सिपाहियों के परिवारों को आवंटन में विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं।

11. भू-जल मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण व कुएं गहरे करने तथा पल्पन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक ट्यूब-वैल योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत एक साथ कई ट्यूब-वैल तैयार किये जाते हैं और उन्हें रियायती दरों पर प्रकृत को बेचा जाता है। अलवर व नागौर क्षेत्रों में ऐसी ही दो योजनाएँ शुरू की गई हैं। 2000 ट्यूब-वैलों की योजना सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही है।

12. इस समय राज्य के बारह जिलों में सड़कों व पुलों का निर्माण-कार्य तथा राजस्थान गंगा तट पर सड़कों का कार्य प्रगति पर है। कुछ सड़कों पर कोलतार डालने का कार्य भी किया जायेगा। राज्य में सीमा-सड़कों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आशा की जाती है कि आगे मार्गों के लिए भी वर्ष 1972-73 में प्रावधान केन्द्र से उपलब्ध होगा। वर्ष 1971-72 में भवन निर्माण कार्यों के लिए 343.66 लाख रुपये का प्रावधान था और इसके अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों का निर्माण-कार्य चालू है जिनमें सरकारी अधिकारियों के लिए जयपुर में होटल भवन व राज्य कर्मचारियों के लिए आवास-गृहों के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है।

13. इस वर्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सभी अनुपूर्णा उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये मासिक का दिया है। अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 85 व 100 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये व 125 रुपये मासिक कर दिया है। ये परिवर्तित न्यूनतम वेतन की दरें 14 अक्टूबर, 1971 से प्रभावशील हो गई हैं। इस वर्ष कोन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड प्रोविसन) एक्ट, 1970 तथा इसके अन्तर्गत बने नियम 20 मार्च, 1971 से राज्य में लागू कर दिए गये हैं। इस अधिनियम के लागू होने से टेके पर कार्य करने वाले हजारों श्रमिकों को बेरोजगार, टशाये व वेतन दिया जायेगा, जो प्रमुख नियोजक अपने श्रमिकों को देते हैं तथा इससे उस पर काम करने वाले श्रमिकों का शोषण समाप्त करने में सहायता मिलेगी। यह हर्ष का विषय है कि संकटकालीन स्थिति में राज्य के श्रमिकों व प्रबन्धकों ने पूर्ण सहयोग दिया तथा युद्ध स्थिति में कोई औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी व हड़ताल नहीं हुई। वर्ष 1971-72 में दो और जिला नियोजन कार्यालय जैसलमेर और बूंदी में खोले गये। गत वर्ष की तुलना में नियोजन की स्थिति सुधरी है।

14. समाज कल्याण की कई योजनाएँ राज्य में चल रही हैं जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। राज्य में बाल अधिनियम लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत जयपुर में तथा अजमेर में बाल-गृह, विशेष स्कूल आदि भी स्थापित किये गये हैं। गर्भवती माताओं को पोषाहार की योजनाओं के

अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार बच्चे एवं माताओं को 1 हजार 200 केन्द्रों के माध्यम से पोषण दिया जा रहा है। अगले वर्ष इस योजना को दुगुना करने का प्रस्ताव है। आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम व स्कूल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। हरिजन बस्तियों में नल व रोशनी भवन-निर्माण हेतु बिना ब्याज के ऋण दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुविधा के लिए 7 आश्रम भी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस हेतु लगभग 36 लाख रुपये खर्च किये जा रहा है। पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को निर्धारित अभ्यास की देख-रेख हेतु राज्य के सभी विभागों एवं राजकीय उपकरणों में रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। अनुसूचित जातियों को जनजाति के कृषकों को सिंचाई-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के हज़ार रुपये तक के ब्याज का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है एवं जीर्णोद्धार करने के लिए 5 हजार रुपये के प्राप्त ऋण का ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

35. राज्य सरकार द्वारा घोषित, बेरोजगार स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों का पूल योजना की योजना चल रही है जिसमें 760 व्यक्तियों का चयन हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिकी-स्नातकों को 250/- रुपये एवं डिप्लोमाधारियों को 150/- रुपये प्रतिमाह के दर से दो वर्ष के लिए स्टैण्डिंग दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1971-72 में अब तक 11 कार्यक्रमों को चुनिंदा सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतु व्यवस्था की गयी है और उन्हें क्रमशः 200/- रुपये व 150/- रुपये का बजीफा दिया जा रहा है। आई.टी.आर. के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकाधिक रोजगार दिलाने हेतु मशीन टूल कारपोरेशन, अजमेर एक अनुबन्ध 1971-72 में किया गया है जिसके अनुसार 200 आई.टी.आई. अभ्यार्थियों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। इनमें से कुछ अभ्यार्थियों को के योग्य बनाने हेतु निगम द्वारा प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के बाहर भी भेजेगा जिसका व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

36. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही लेकिन अपराधों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। पुलिस की कुख्यात डाकू-गिरोहों से इस वर्ष अनेक बार मुठभेड़ हुई जिनमें 84 डाकू पकड़े गये व 12 डाकू मारे गये हैं।

37. कारागार विभाग द्वारा, बंदियों को समाज के लिए उपयोगी सभ्य नागरिक बनाने के उद्देश्य से, कारागारों में शिक्षा की उन्नति के लिए भिन्न स्तरों पर इस वर्ष कई ठोस कदम उठाये गये हैं और उनसे लाभप्रद परिणाम निकले हैं।

38. राज्य के औद्योगिक और व्यावसायिक प्रगति के साथ-साथ पथ परिवहन का महत्त्व भी बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में गाड़ियों की संख्या 82 हजार 661 थी जो वर्ष 1971-72 में बढ़कर 97 हजार 752 हो गई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैधरूप से चलने वाली गाड़ियों की रोकथाम के लिये मोबाइल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है जिसके फलस्वरूप ऐसी अवैध गाड़ियों की संख्या में कमी हुई है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की

की भी चाल गती हैं और इस वित्तीय वर्ष में निगम को लगभग 22 लाख रुपये का लाभ होगा। निगम को बम सेवाओं की समुचित सुविधाएं मिल सकें इसके लिए निगम सचेष्ट है।

19. वर्ष 1971 में राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग में वर्षा लगभग सामान्य होने कारण इन भागों में तो स्थिति सामान्य रही, किन्तु राज्य के पश्चिमी भाग में विशेषकर कानेर, जैमलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, चूरू एवं गंगानगर में अभाव की स्थिति रही। भीलवाड़ा जिले की आसीन्द तहसील के भी कुछ गाँव अभाव की स्थिति से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर लगभग साढ़े चार हजार गाँव अभाव की स्थिति से प्रभावित हैं। वर्ष में वर्षा ठीक हो जाने के कारण राज्य में लगभग चारों की स्थिति सामान्य है और पशु-पक्षियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। जिला जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली एवं बाड़मेर में पेयजल की व्यवस्था ट्रकों द्वारा भिजवाया जाकर एवं नलकूप चलाये जाकर लगभग 600 स्थानों पर की जा रही है। ग्राम्य-निर्माण कार्यक्रम एवं क्रेश योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर अभावग्रस्त लोगों को रोजगार मिलने के कारण कहीं सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं। वित्तीय वर्ष 1972-73 में यदि आवश्यकता समझी गई तो सहायता कार्य खोलें जा सकते हैं।

40. प्रशासन में सुधार की दृष्टि से सचिवालय में प्रक्रिया सुधार कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसके अनुसार सचिवालय में गुण-व्यवहारी प्रवर्धित हुई जिससे मामलों का निपटारा शीघ्र होगा और कार्य का स्तर ऊँचा होगा। विभागों के कर्मचारियों की स्ट्रेन्थ का मूल्यांकन एवं योजनाबद्ध कैरियर मैनेजमेण्ट जैसे आवश्यक कार्यों पर भी कार्यवाही शुरू की गई। प्रशासन में स्फूर्ति लाने की दृष्टि से जनअभियोग निराकरण विभाग की भी स्थापना जुलाई, 1971 में की गई और इस अत्यावधि में प्राप्त 4 हजार शिकायतों में से लगभग आधे से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्य किया जा रहा है। करीब 80 भ्रष्ट कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सजाएँ दी गईं। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत, मकान विभागाध्यक्ष पद नियोजना भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के हित के लिए एक अलग से अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। तत्पश्चात् विभिन्न विभागों के लगभग 4 हजार कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं।

41. हम सब का मुख्य कार्य, जिसके लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है वह सामग्री वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा संसदीय-परी कानून बनाना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आय-व्यय पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कृत-संकल्प हैं। राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान कराधान विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1971; राजस्थान

यात्री तथा मालकर (संशोधन) अध्यादेश, 1971; राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1972 आदि भी आपे समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।

42. मोटे तौर पर पिछले वर्ष की उल्लेखनीय घटनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों का मैंने जिक्र किया है। अब हमें आने वाले वर्ष के कार्य-कलापों पर विचार करना है और राजस्थान के चहुँमुखी विकास की दिशा में कार्य करना है। जनहित में आप भवका सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार-विमर्श में सफलता मिले यही मेरी कामना है।

43. राजस्थान विधान सभा में मेरा यह अन्तिम अभिभाषण है। मेरे कार्यकाल के पाँच वर्षों की अवधि में जो सहयोग और सद्भावनाएँ सदन के सदस्यों से प्राप्त हुईं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपके स्नेह की सुखद स्मृति की अमिट छाप मेरे हृदय में सदा अंकित रहेगी। राजस्थान अपने विकास एवं समृद्धि के प्रशस्त मार्ग पर अबाध गति से अग्रसर होता रहे, यही मेरी हार्दिक कामना सदैव रहेगी।

जय हिन्द।

